[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 28/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 20 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 555(अ), दिनांक 05 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/26/2019-डीजीटीआर, दिनांक 27 अगस्त, 2021, जिसे दिनांक 27 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना अधिसूचना संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर, दिनांक 24 जून, 2022, जिसे दिनांक 24 जून, 2022 को को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पंहुचते रहने की संभावना है;

(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;

(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (**9**) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (**8**) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः-

सारणी

क्रम सं.	**टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**मूलतः उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	29291020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोवेस्ट्रो पॉलिमर (चीन) (चीन) कं. लिमिटेड	0.26	किग्राग्रा	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वानहुवा केमिकल ग्रुप कं. लि.	0.26	किग्राग्रा	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम सं. 1 और और में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.26	किग्राग्रा	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	0.26	किग्राग्रा	अमेरिकी डॉलर

			भी देश					
5.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	0.22	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	बीएएसएफ कंपनी लिमिटेड लिमिटेड	0.31	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर
7.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम सं. 5 और 6 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.44	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर
8.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	0.44	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर
9.	-तदैव-	-तदैव-	जापान	जापान समेत कोई भी देश	कोई भी	0.15	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर
10.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	जापान	कोई भी	0.15	किग्रा ग्रा	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/121/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार